बिहार सरकार,

कृषि विभाग।

पत्र संख्या–09 / सं०कृ०भ०–16 / 2014 724 / कृ०, पटना, दिनांक 29.9. / 2014

प्रेषक,

विश्वनाथ चौधरी,
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
–सह–अपर सचिव कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(*) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

(*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– कृषि परिसर मीठापुर, पटना में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासिय भवन तथा परिसर के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2012–14 से 2014–15 तक कुल 105.65 करोड़ रूपये (2012–13 –21.00 करोड़, 2013–14 –64.00 करोड़ एवं 2014–15 –20.65 करोड़ रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन वर्ष 2014–15 में 20.65 करोड़ रू० (बीस करोड़ पैसठ लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए 1,75,00,000 (एक करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति ।

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि विभागिय राज्यादेश संख्या 5426 दिनांक 01.10.2012 द्वारा कृषि परिसर मीठापुर, पटना में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय भवन तथा परिसर के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक कुल 105.65 करोड़ रूपये (2012–13 –21.00 करोड़, 2013–14 –64.00 करोड़ एवं 2014–15 –20.65 करोड़ रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके अधीन वर्ष 2012–13 में 21.00 करोड़ रू० (ईक्कीस करोड़ रूपये) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. अभी तक इस योजना अन्तर्गत स्वीकृत विभागिय राज्यादेश संख्या 5426 दिनांक 01.10.2012 से 21.00 करोड़ रूपये आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को उपलब्ध कराया जा चूका है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में कार्य की अपेक्षित प्रगति नहीं होने तथा पूर्व से विमुक्त राशि अव्यवहृत रहने के कारण राशि विमुक्त नहीं की गयी। फलस्वरूप तत्काल आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को वर्ष 2014–15 के लिए विमुक्ति हेतु कर्णांकित 20.65 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जाति के लिए 1,75,00,000 (एक करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है । कार्य की प्रगति के आधार पर कालान्तर में अवशेष राशि विमुक्त की जायेगी।

3. कृषि विभाग द्वारा वर्तमान में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अपने नियमों के अधीन निर्माण कार्य विहित प्रक्रिया के अनुसार पूरा करायेगी।

4. योजना कार्यान्वयन हित में प्रशासी विभाग द्वारा स्वीकृत राशि के अधीन यथा आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

5. उक्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के लिए स्वीकृत राशि 25.00 करोड़ रू० का बजट शीर्ष 4401 फसल कृषि–कर्म पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–1 उप शीर्ष–0101– कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना, विपत्र कोड P4401007890101 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-5032 विषय शीर्ष 53 01 मुख्य निर्माण कार्य में वर्ष 2014–15 के लिए उपबंधित 1.75 करोड़ रूपये से विकलनीय होगा।

6. आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार से पूर्व प्राप्ति रसीद विपत्र के साथ संलग्न की जायेगी। आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा राशि का उपयोगीता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार तथा

बैद्यनाथ यादव

उप कृषि निदेशक, (ग्रेड/सांख्यिकी)

कृषि विभाग को भेजी जायेगी। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। कार्यान्वयन ऐजेन्सी द्वारा परियोजना के लिए अलग से लेखा संधारण किया जायेगा।

7. योजना में मंत्रीपरिषद् द्वारा दिनांक 11.09.2012 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या– पी॰पी॰एम॰–09/2012 के पृष्ठ संख्या– 19/टि० पर संधारित है। चूंकि यह चालु योजना है इसलिए पुनः मंत्री परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–09/सं॰कृ॰भ॰ 16/2014 के पृष्ठ संख्या–16/टि० पर दिनांक– 24.09.2014 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

29.9.14

(विश्वनाथ चौधरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
–सह–
अपर सचिव कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 724 / कृ०, पटना, दिनांक 29.9. 2014

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, पटना/मीठापुर स्थित कृषि विभाग के सभी कार्यालय प्रधान/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन ऐजेंसी/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर/निदेशक, कृषि संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.9.14

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
–सह–
अपर सचिव कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 724 / कृ०, पटना, दिनांक 29.9. 2014

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग/मंत्री मंडल सचिवालय विभाग/भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/आयुक्त, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

29.9.14

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
–सह–
अपर सचिव कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 724 / कृ०, पटना, दिनांक 29.9. 2014

प्रतिलिपि :– मंत्री कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी॰पी॰एम॰, बिहार, पटना/कृषि विभाग से संबंधित पदाधिकारी/योजना एवं बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.9.14

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
–सह–
अपर सचिव कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बैद्यनाथ यादव